न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 249/2026

मोजीराम पुत्र सालग्या उम्र 60 साल, निवासी छारोदा पुलिस थाना कुण्डेरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर राजस्थान।

-प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफआईआर नं. 22/2026 पुलिस थाना सूरवाल, सवाई माधोपुर।
अन्तर्गत धारा– 115(2), 126(2), 76, 333, 3(5) भारतीय न्याय संहिता

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	22.03.2026

उपस्थितः-

1. श्री गिर्राज सिंह गुर्जर , विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 24.03.2026

1. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त मोजीराम पुत्र सालग्या का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता खारिज किया जाने पर उक्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पेश किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलवाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने पुलिस थाना सूरवाल पर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह फुसोदा माल थाना सूरवाल की निवासी है। दिनांक 24.01.2026 को समय करीब शाम को 6 बजे प्रार्थीया अपने मकान में पानी का पाईप लगा रही थी तभी मां बहिन की फोश गालियां निकालते हुए जबरन घर में मुलजिम मोजीराम पुत्र सालिगराम घुस गया और मारपीट करते हुए पोते पर लात की मारी एवं लज्जा भंग करने के आशय से लूंगड़ी खींची और बाथ भरने लगा। प्रार्थीया ने विरोध किया तो मुलजिम मोजीराम ने मुंह से हाथ की अुंगली चबा ली, साथ ही मुलजिमा प्रकाशी पुत्री जितेन्द्र ने जबरन मुंह बंद कर घर में चोटी पकड़ कर घसीटा जिससे कपड़े अस्त व्यस्त हो गये...इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरवाल पर एफआईआर नं. 22/2026 अपराध अन्तर्गत धारा– 115(2), 126(2), 74, 351(2) भारतीय न्याय संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान से अभियुक्त के विरूद्ध धारा– 115(2), 126(2), 76, 333, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. केस डायरी में संलग्न रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा निम्न आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताये गये है-

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर	अपराध धारा	नतीजा
1	223/2020	323, 341, 325, 307 आईपीसी Ps मानटाउन	आरोप पत्र पेश
2	246/2017	323, 341, 324, 349 आईपीसी Ps सूरवाल	आरोप पत्र पेश

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप ही बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के विरूद्ध यह प्रकरण झूठा बनाया गया है। वह दिनांक 22.03.2026 से अभिरक्षा में है। उससे कोई अन्वेषण एवं बरामदगी शेष नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

8 उभयपक्ष को सुनकर केस डायरी एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के विरूद्ध अनुसंधान के उपरान्त धारा–115(2), 126(2), 76, 333, 3(5) भारतीय न्याय संहिता का अपराध प्रमाणित पाये गये हैं। अभियुक्त दिनांक 22.03.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों पर पूर्ण मनन करने के उपरान्त प्रकरण के गुण-दोष पर विस्तृत टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी–अभियुक्त मोजीराम पुत्र सालग्या की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त इस प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर के संतोषप्रद 50,000/– (पचास हजार) रूपये का मुचलका एवं 25,000/– – 25,000/– (पच्चीस–पच्चीस) हजार रूपये की दो मोतबिर जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो प्रार्थी–अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर

10. आदेश आज दिनांक 24.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस आदेश की प्रति नियमानुसार सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर